

उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र,
14, सी.एस.पी. सिंह मार्ग, प्रयागराज
फोन नं० 0532-2421855

e-mail: nczcc@rediffmail.com website: www.nczcc.in

निविदा सूचना

उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आवश्यक सामान्य अथवा सजावटी विद्युत फिटिंग उपकरण किराये पर केन्द्र परिसर के अन्दर एवं शहर के अन्य हिस्से में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों हेतु आपूर्ति किये जाने अथवा लगाने हेतु अनुभवी पंजीकृत फर्मों से (A class License Holder) ऑफलाइन निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र केन्द्र कार्यालय के लेखा अनुभाग से रु. 500/- प्रत्येक नगद अथवा डी.डी. (जो निदेशक, उ.म.क्षे.सां.के., प्रयागराज के पक्ष में देय हो) निविदा शुल्क जमा करने पर दिनांक 01.09.2026 से 07.09.2026 तक पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे के मध्य किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा निविदा उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज की वेबसाइट www.nczcc.in से भी डाउनलोड की जा सकती है। निविदा शुल्क रु. 500/- प्रत्येक निविदा प्रपत्र के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। डाउनलोड/क्रय किये हुए निविदा प्रपत्रों के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क की रसीद भी जमा करना आवश्यक होगा। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार निदेशक में निहित होगा। निविदा दिनांक 11.09.2026 को अपरान्ह 2 बजे तक सील बंद लिफाफे में केन्द्र कार्यालय में रखे हुए ड्राप बॉक्स में जमा करना होगा। निविदादाता यह सुनिश्चित करें कि लिफाफे के ऊपर निविदा का नाम/विवरण तथा फर्म का पूरा विवरण मोबाईल नम्बर सहित अंकित किया गया है। प्राप्त सभी निविदाएं दिनांक 11.09.2026 को अपरान्ह 3 बजे केन्द्र की समिति एवं उपस्थित निविदादाताओं/उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी।

कार्य का विवरण	कार्य की अवधि	निविदा बिक्री की तिथि एवं समय	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	निविदा खोलने का समय
सामान्य अथवा सजावटी विद्युत फिटिंग (किराये पर)	कार्य आवंटन की तिथि से एक वर्ष तक	दिनांक 01.09.2026 से 07.09.2026 को अपरान्ह 03:00 बजे तक	11.09.2026 को अपरान्ह 02:00 बजे तक	11.09.2026 को अपरान्ह 03 बजे

निदेशक

निविदा की शर्तें

1. दरें प्रत्येक मद, प्रति संख्या प्रति इकाई, आर.एफ.टी., (1) एक दिन (2) 15 दिन (3) 30 दिन के लिये देनी होगी।
2. निविदादाता की कोई भी शर्त अलग से केन्द्र को मान्य नहीं होगी।
3. निदेशक, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र को स्वीकृत दरों पर कार्य को दो या दो से अधिक ठेकेदारों के बीच बांटने का अधिकार होगा।
4. फर्म के द्वारा जिन कार्यों के लिए निविदा भरी जा रही है, फर्म को उस क्षेत्र में कार्य का कम से कम **तीन वर्ष का अनुभव प्रमाण-पत्र** अथवा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
5. निविदादाता को राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित विद्युत सुरक्षा के नियमों का पूर्णतः पालन करना होगा साथ ही तार एवं केबल के सभी जोड़ों को टेप करना होगा और मेन स्विच, चेंज ओवर स्विच तथा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के कनेक्शन बस बार के माध्यम से जोड़े जाने होंगे।
6. सामानों के कार्य स्थल तक ले आने, ले जाने, एवं निदेशित स्थान पर लगाने का व्यय, सामानों के बदलने एवं पुनः लगाने का व्यय दरों में ही सम्मिलित होगा।
7. केन्द्र द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में विद्युत फिटिंग लगाने एवं वायरिंग करने का पर्याप्त समय ठेकेदार को दिया जायेगा तथा ठेकेदार के द्वारा विद्युत सुरक्षा (राज्य सरकार) का प्रमाण-पत्र एवं उत्तर प्रदेश पुलिस, अग्निशमन सेवा से सम्बन्धी उपकरण व प्रमाण-पत्र प्राप्त करके केन्द्र में कार्यक्रम से पूर्व जमा करना होगा। इसके लिए केन्द्र द्वारा किसी अतिरिक्त धनराशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
8. जनरेटर प्रयोग की दशा में ठेकेदार के द्वारा जनरेटर पर एक आपरेटर अलग से सम्पूर्ण अवधि के लिए नियुक्त करना है तथा जनरेटर का प्रयोग मेन स्विच एवं चेंज ओवर स्विच के माध्यम से करना अनिवार्य होगा। मेन स्विच एवं चेंज ओवर स्विच के लिए कोई अतिरिक्त धनराशि का भुगतान नहीं किया जायेगा। थ्री फेस विद्युत सोर्स पर जिन कट आउट का प्रयोग ठेकेदार का प्रयोग किया जायेगा, उनकी क्षमता आपूर्ति किये जाने वाले विद्युत लोड के अनुसार होनी चाहिए।
9. सामानों की आपूर्ति केन्द्र परिसर, प्रयागराज नगर क्षेत्र में की जायेगी। दी गयी दरों में सामानों की आपूर्ति/लगाने का व्यय भी सम्मिलित होगा।
10. सामानों की आपूर्ति में सभी तरह की प्रतिपूर्ति भी सम्मिलित होगी परंतु, Act of God जैसे दंगा, अग्निकाण्ड, वर्षा आदि से हुई क्षति उक्त प्रतिपूर्ति में शामिल नहीं होगी। कार्यस्थल पर किन्हीं कारणों से यदि कार्यक्रम पहले समाप्त हो जाता है तो वास्तविक उपयोग अवधि का भुगतान किया जायेगा।
11. आपूर्ति किये जाने वाले सामानों की मात्रा आवश्यकता के अनुसार कम या अधिक हो सकती है। ठेकेदार को केन्द्र की आवश्यकतानुसार सामानों की आपूर्ति कार्य स्थल पर करनी होगी।

12. कार्यक्रमों के दौरान वर्ष भर में जिन सामानों की आवश्यकता हो सकती है उनकी दरें आमंत्रित कर ली गयी हैं, परन्तु ठेकेदार को सामानों की आपूर्ति केन्द्र की आवश्यकतानुसार करनी होगी।
13. निर्धारित समय पर ठेकेदार द्वारा सामानों की आपूर्ति न किये जाने पर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में निदेशक का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
14. कार्य स्थल पर उपयोग किये जाने वाले सामानों की रख-रखाव की जिम्मेदारी ठेकेदार की स्वयं की होगी। टूट-फूट के लिये या उपयोग के दौरान किसी सामान के खराब होने के कारण किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति केन्द्र द्वारा देय नहीं होगी।
15. कार्य स्थल पर ठेकेदार द्वारा जिन सामानों (विद्युत फिटिंग) की आपूर्ति की जायेगी, उनके संतोषजनक एवं आकार गुणवत्ता ठीक न होने पर बदलने का दायित्व ठेकेदार का स्वयं का होगा। इसमें किसी प्रकार के नुकसान होने पर ठेकेदार जिम्मेदार होगा। आपूर्तित सामानों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में निदेशक या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
16. आपूर्ति की गयी सभी उपकरण उपयोग करने योग्य, सभी जोड़ के साथ लगे होने चाहिए। गुणवत्ता संतोषजनक न होने पर ठेकेदार के अन्तिम भुगतान से कटौती कर ली जायेगी। विद्युत सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
17. सामान्यतया उपकरण की आपूर्ति के लिए ठेकेदार को पर्याप्त समय दिया जायेगा। परन्तु आकस्मिक मांग होने पर सामानों की आपूर्ति तदनुसार करनी होगी।
18. सम्पूर्ण कार्य उपकरण की आपूर्ति एवं लगाने का कार्य कार्यक्रम शुरू होने के एक दिन पूर्व अधिकृत अधिकारी के निर्देशानुसार पूर्ण करनी होगी।
19. किए गये कार्य का स्तर सुरक्षा और गुणवत्ता की दृष्टि से संतोषजनक न पाये जाने पर इसकी आपूर्ति का प्रबन्ध अन्य एजेन्सी से किया जायेगा एवं इसके लिये किराये पर होने वाले व्यय के अतिरिक्त 15 प्रतिशत धनराशि दण्ड स्वरूप ठेकेदार से वसूल की जायेगी तथा उसकी जमानत राशि जब्त करते हुये अनुबन्ध समाप्त कर दिया जायेगा।
20. यदि किसी समय पर यह पाया जाता है कि भुगतान अधिक हो गया है तो ठेकेदार की जमानत राशि/लम्बित भुगतान से इसकी वसूल कर ली जायेगी।
21. निविदादाता को स्पष्ट रूप से अपनी दरों को शब्दों एवं अंकों में इंगित करना होगा यदि शब्दों एवं अंकों में अन्तर पाया जाता है तो दोनों में जो कम होगा उसी को सही माना जायेगा। जिस सामग्री की दर नहीं अंकित की गयी उसके आगे निरंक लिख दिया जायेगा।
22. कोई भी निविदा बिना रु0 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) की अग्रिम धन (Earnest Money) के स्वीकार नहीं की जायेगी। निविदादाता द्वारा अग्रिम धन की राशि नकद/ड्राफ्ट बचत, पासबुक/राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के रूप में (निदेशक, उ0म0क्षे0सां0केन्द्र के पक्ष में जमा) करनी होगी।

23. निविदादाता को अपनी कार्यक्षमता प्रमाणित करनी होगी।
24. जिस निविदादाता की निविदा स्वीकार की जायेगी उसे तीन दिनों के भीतर रुपये 25,000/—(रुपये पच्चीस हजार मात्र) की जमानत राशि केन्द्र के पक्ष में जमा करनी होगी अन्यथा (Earnest Money) अग्रिम धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
25. स्वीकार की गयी निविदा की दरें निविदा आवंटन की तिथि से एक वर्ष तक के लिए मान्य होगी।
26. निदेशक, उ.म.क्षे.सां.केन्द्र को यह विशेषाधिकार होगा कि वह बिना किसी कारण बताये किसी एक निविदा को या सभी निविदाओं को निरस्त कर दें अथवा केन्द्र के हित में किसी एक निविदा को आंशिक या पूर्ण रूप में स्वीकार कर लें। इस सम्बन्ध में निदेशक का निर्णय अन्तिम एवं सभी का मान्य होगा।
27. कार्य स्थल पर कार्य की भाग का माप-जोख (भौतिक सत्यापन) केन्द्र के अधिकारी द्वारा पूर्ण किये जाने तक ठेकेदार निर्माण कार्य न तो हटायेगा और न ही उसमें परिवर्तन करेगा।
28. उ.म.क्षे.सां. केन्द्र ठेकेदार की किसी भी प्रकार का परमिट/लाइसेन्स दिलाने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
29. उ.म.क्षे.सां. केन्द्र किसी भी प्रकार का ट्रक, वैगन, लारी आदि के प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ठेकेदार को सामानों की आपूर्ति हेतु स्वयं परिवहन की व्यवस्था करनी होगी, यदि कोई कर देय है तो वह ठेकेदार द्वारा ही देय होगा।
30. स्रोत पर कर-कटौती लागू नियमों के अनुसार भुगतान के समय केन्द्र द्वारा की जायेगी।
31. निविदादाता निविदा प्रपत्र के साथ अपनी फर्म का पैन, जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाण पत्र भी संलग्न करें अन्यथा निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी।
32. यदि किसी निविदादाता की अग्रिम धनराशि/जमानत राशि किसी अन्य टेन्डर के विरुद्ध केन्द्र में जमा है तो उस राशि का प्रयोग इस निविदा के माध्यम से नहीं किया जा सकेगा।
33. नियम, शर्त एवं दरों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर आवश्यक होगा। ऐसा न पाये जाने पर निविदा निरस्त की जा सकती है। इस हस्ताक्षर का मतलब है कि निविदादाकर्ता ने सारे नियम/शर्तें पढ़कर समझ ली है और वह उनसे पूर्णतया सहमत हैं।
34. सभी निविदादाता के द्वारा सभी दरें जीएसटी सहित प्रस्तुत करनी होगी।

	(सी) 125 किलो वाट विद्युत आपूर्ति के लिए	1.	एक दिन	प्रति मीटर				
		2.	15 दिन	प्रति मीटर				
		3.	30 दिन	प्रति नग				
13	(ए) LED स्ट्रीट लाइट हैवी समस्त फिटिंग सहित।	1.	एक दिन	प्रति मीटर				
		2.	15 दिन	प्रति मीटर				
		3.	30 दिन	प्रति नग				
	(बी) LED स्ट्रीट लाइट मीडियम समस्त फिटिंग सहित।	1.	एक दिन	प्रति नग				
		2.	15 दिन	प्रति नग				
		3.	30 दिन	प्रति नग				

14	पेडस्टल फैन हैवी ड्यूटी साउण्ड लेस	1.	एक दिन	प्रति नग			
		2.	15 दिन	प्रति नग			
		3.	30 दिन	प्रति नग			
15	कूलर साउण्ड लेस	1.	एक दिन	प्रति नग			
		2.	15 दिन	प्रति नग			
		3.	30 दिन	प्रति नग			

दिनांक:

निविदादाता के हस्ताक्षर

	उपकरणों तथा तारों की टैपिंग के साथ परिसर में किसी भी निर्देशित दूरी के लिये झालरों की दर प्रति हजार बल्ब।	3.	30 दिन	प्रति नग				
8	ब्रैकेट लैम्ब के फिटिंग समस्त सुरक्षा उपकरणों के साथ।	1.	एक दिन	प्रति नग				
		2.	15 दिन	प्रति नग				
		3.	30 दिन	प्रति नग				
9	पंडाल के लिए झूमर	1.	एक दिन	प्रति नग				
		2.	15 दिन	प्रति नग				
		3.	30 दिन	प्रति नग				
10	जनरेटर डीजल रहित	1.						
		2.						
		3.	30 दिन	प्रति नग				
	10 के०वी०ए०	1.	एक दिन	प्रति नग				
		2.	15 दिन	प्रति नग				
		3.	30 दिन	प्रति नग				
	63 के०वी०ए०	1.	एक दिन	प्रति नग				
		2.	15 दिन	प्रति नग				
		3.	30 दिन	प्रति नग				
	125 के०वी०ए०	1.	एक दिन	प्रति नग				
		2.	15 दिन	प्रति नग				
		3.	30 दिन	प्रति नग				
11	जनरेटर रनिंग / प्रति घंटा							
	10 के०वी०ए०							
	63 के०वी०ए०							
	125 के०वी०ए०							
12	तीन फेस केविल विद्युत आपूर्ति के लिए (ए) 10 किलो वाट विद्युत आपूर्ति के लिए	1	एक दिन	प्रति मीटर				
		2.	15 दिन	प्रति मीटर				
		3.	30 दिन	प्रति नग				
	(बी) 63 किलो वाट विद्युत आपूर्ति के लिए	1.	एक दिन	प्रति मीटर				
		2.	15 दिन	प्रति मीटर				
		3.	30 दिन	प्रति नग				

उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र
 14, सी०एस०पी०सिंह मार्ग, प्रयागराज
सामान्य विद्युतीकरण, सजावट व प्रेक्षागृह प्रकाश व्यवस्था के लिए दरें।

क्र० सं०	सामानों की मात्रा एवं संख्या						
				अंकों में		शब्दों में	
				रु०	पै०	रु०	पै०
1	2	3	4	5	6	7	8
1	40 के०वी०ए० विद्युत आपूर्ति तीन फेज में वितरण बोर्ड से मंच तक अधिकतम 150 फिट तक, तीन केबिल में अलग-2 स्विच एवं ग्रिड तथा समस्त फिटिंग के साथ क्रमांक 1 के मानक की तरह।	1. एक दिन 2. 15 दिन 3. 30 दिन	प्रति नग प्रति नग प्रति नग				
2	एल.ई.डी. बल्ब (12 वाट तक) की फिटिंग सुरक्षा उपकरणों के साथ।	1. एक दिन 2. 15 दिन 3. 30 दिन	प्रति नग प्रति नग प्रति नग				
3	LED (50 वाट तक) के विद्युत बल्ब की फिटिंग सुरक्षा उपकरणों के साथ।	1. एक दिन 2. 15 दिन 3. 30 दिन	प्रति नग प्रति नग प्रति नग				
4	एल.ई.डी. ट्यूब लाइट 4' लम्बी की फिटिंग समस्त सुरक्षा उपकरणों के साथ।	1. एक दिन 2. 15 दिन 3. 30 दिन	प्रति नग प्रति नग प्रति नग				
5	5/15 एम्पीयर प्लग प्वाइंट समस्त उपकरणों के साथ।	1. एक दिन 2. 15 दिन 3. 30 दिन	प्रति नग प्रति नग प्रति नग				
6	छत का पंखा समस्त उपकरणों के साथ लगाना	1. एक दिन 2. 15 दिन 3. 30 दिन	प्रति नग प्रति नग प्रति नग				
7	सजावटी झालर (एल.ई. डी.) समस्त सुरक्षा	1. एक दिन 2. 15 दिन	प्रति नग प्रति नग				

घोषणा

मैं/हम.....पुत्र श्री
फर्म यह घोषणा करते हैं कि
उपरोक्त सभी नियम एवं शर्त पढ़ और समझ ली है। मैं/हम
.....पालन करने का वचन देता हूँ/देते हैं।

दिनांक

निविदादाता के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

फर्म का नाम व पता

मो० नं०—

पिन नं०—

पैन कार्ड नं०—

टैक्स नं०—